न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/37/2015

उनवान

1. रूपा पिता गोपी गुर्जर निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. छोगा पिता गोपी गुर्जर निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा
3. मेवा पिता गोपी गुर्जर निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा
4. नेनू पिता गोपी गुर्जर निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा
5. बरजी पिता गोपी गुर्जर निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा
6. उदा पिता भागीरथ गुर्जर निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा
7. मु0 मेमा पत्नी रूपा गुर्जर निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा
8. श्रीमती श्रवणी पत्नी उदा गुर्जर निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा
9. प्रेमचन्द पिता मांगू गुर्जर निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा
10. लादु पिता मांगू गुर्जर निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा
11. श्रीमती अमरी पुत्री मांगू गुर्जर निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा
12. सम्पत पिता मांगू गुर्जर निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. सीमा पुत्री मांगू गुर्जर निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा
14. नारायणी पुत्री मांगू गुर्जर निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा
15. घीसी पत्नी मांगू गुर्जर निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. श्रीमती सीतादेवी पत्नी लक्ष्मीलाल कुमावत निवासी गोपालपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. सत्यनारायण पिता लक्ष्मीलाल कुमावत निवासी गोपालपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
3. गोपाल पिता लक्ष्मीलाल कुमावत निवासी गोपालपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
4. शांतिलाल पिता मेघराज कुमावत निवासी गोपालपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
5. लक्ष्मीलाल पिता जगन्नाथ कुमावत निवासी गोपालपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
6. मेघराज पिता जगन्नाथ कुमावत निवासी गोपालपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
7. सुखलाल पिता लक्ष्मीलाल कुमावत निवासी गोपालपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के

प्रकरण संख्या 607/2013 निर्णय दिनांक 16.12.2014

अधिवक्तागण :—

1. श्री बी एल बापना , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री विनोद तिवाडी ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1 से 7

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.9.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजी वाके ग्राम बेमाली पटवार हल्का बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा के खाता संख्या नया 45 व पुराना 46 में आराजी नम्बर 3613 रकबा 26 बीघा 03 बिस्वा दर्ज राजस्व रेकार्ड है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। इसी प्रकार ग्राम बेमाली पटवार हल्का बेमाली तहसील करेडा में विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 के नाम पर आराजी नम्बर 3405 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा, विपक्षी संख्या 6 के नाम पर आराजी नम्बर 3947/3405 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा, विपक्षी संख्या 1 व 07 के नाम पर आराजी नम्बर 3404/2 रकबा 02 बिस्वा , विपक्षी संख्या 8 व 09 के नाम पर आराजी नम्बर 3404/1 रकबा 2 बीघा, विपक्षी संख्या 10 लगायत 16 के नाम पर आराजी नम्बर 3404/3 रकबा 02 बीघा तथा आराजी नम्बर 3404 रकबा 17 बिस्वा भूमि सिंलिंग से अवाप्त भूमि होकर राज्य सरकार विपक्षी संख्या 17 के नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड है। आराजी नम्बर 3404/2, 3404/2, 3404/3 राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं है।

2. प्रार्थीगण ग्राम गोपालपुरा, ग्राम पंचायत चावण्डिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा के निवासी हैं तथा ग्राम चावण्डिया बेमाली से ग्राम गोपालपुरा आने जाने का एकमात्र रास्ता आराजी संख्या 3404, 3404/1, 3404/2, 3404/3, 3405, 3947/3405 में स्थित होकर मूल रास्ता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जिसके आराजी नम्बर 3420 एवं 3371 हैं, से मिलता है। प्रार्थीगण खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की उपरोक्त वर्णित आराजी संख्या 3613 रकबा 26 बीघा 03 बिस्वा भूमि जो कि ग्राम बेमाली में स्थित है, पर प्रार्थीगण अपने ग्राम गोपालपुरा से आने–जाने एवं कृषि उपकरण संज, बैलगाडी, ट्रेक्टर, मवेशी इत्यादि लाने ले जाने का एकमात्र सरल, सुगम रास्ता सरकारी रेकार्डेड रास्ता संख्या 3420 से होकर विपक्षीगण की उपरोक्त वर्णित आराजी नम्बर 3404, 3404/1, 3404/2, 3404/3, 3405, 3947/3405 में स्थित रास्ते से होते हुए रास्ते के रूप में दर्ज आराजी संख्या 3371 में से होते हुए मौके पर स्थित आराजी संख्या 3811/3409 व आराजी नम्बर 3407 के पश्चिमी मेड व चावण्डिया ग्राम की सीमा पर से होते हुए अपनी आराजी नम्बर 3613 में आते जाते हैं। उक्त रास्ते का प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से उपयोग उपभोग अपने खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 3613 में आने जाने एवं कृषि उपकरण , संज बैलगाडी, ट्रैक्टर मवेशी आदि लाने ले जाने में निरन्तर निर्बाध रूप से करते चले आ रहे हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजियात में आने जाने का अन्य कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। प्रार्थीगण की आराजियात में आने जाने के उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी मार्क **अ से ब** तक दर्शाया गया है । आराजी संख्या 3404 जो कि सिलिंग से अवाप्त सरकार के नाम पर था, जो बहुत बडा रकबा होकर प्रार्थीगण उक्त सरकारी भूमि से होकर प्रार्थीगण एवं ग्रामवासियान गोपालपुरा ग्राम बैमाली एवं पंचायत हैडक्वाटर चावण्डिया में आने जाने हेतु उक्त आराजी एवं विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 6 की आराजी संख्या 3405 एवं आराजी संख्या 3947/3405 में स्थित रास्ते का निरन्तर निर्बाध रूप से कई वर्षो से उपयोग उपभोग करते रहने से राजस्व रिकार्ड के नक्शा ट्रेश में भी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी संख्या 3404 के मध्य डबल डोटेड लाईन से रास्ता दर्शित किया गया है। उक्त डबल डोटेड रास्ता रेकार्डेउ रास्ता आराजी संख्या 3420 को रेकार्डेड रास्ता संख्या 3371 से मिलाता है परन्तु आराजी संख्या 3404 पर विपक्षी संख्या 07 लगायत 16 द्वारा अवैध अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिये जाने से कुछ भूमियों उन्हें टुकडे–टुकडे में आवंटन कर खाते में दर्ज कर दी गई है परन्तु राजस्व नक्शा ट्रेश में अंकन नहीं किया गया है।

3. विपक्षीगण द्वारा आराजी संख्या 3404, 3404/1, 3404/2, 3404/3, 3405, 3947/3405 के मध्य स्थित उक्त डबल डोटेड लाईन से दर्शित रास्ता जो कि ग्राम चावण्डिया, बैमाली को ग्राम गोपालपुरा से जोडता है, पर ग्राम पंचायत चावण्डिया द्वारा ग्रेवल रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया एवं काफी लागत लगाई गई तथा विपक्षीगण को इस बात की जानकारी हुई कि उक्त रास्ता अब प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज आराजियात में से होकर निकलेगा तो विपक्षीगण उक्त आराजियात के चारों तरफ पत्थर के कोट बनाने पर आमादा हुए । इस पर ग्रामवासियान गोपालपुरा एवं प्रार्थीगा द्वारा ऐसा नहीं करने हेतु मना किया तो विपक्षीगण ने कहा कि वे उक्त रास्ते को बंद करके ही रहेंगे व प्रार्थीगण को कहा कि अब तुम अपनी आराजी पर किसी भी कीमत पर आ जा नहीं सकोगे एवं न ही फसल काश्त कर सकोगे। जिस पर ग्रामवासियान गोपालपुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् जिलाधीश महोदय, भीलवाडा के यहॉ पेश किया गया जिस पर मौका पर्चा कायम किया जाकर रास्ते को खुलासा बताया गया , लेकिन अब विपक्षीगण उक्त रास्ते पर पत्थर की कोट कर रास्ते को बन्द करने पर आमादा है। इसी वजह से प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र वास्ते खुलासा कराये जाने रास्ता एवं कायम कराने रास्ता हेतु पेश करना पडा है।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
उप राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3613 में आने जाने के उक्त रास्ते को जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क **अ से ब तक** दर्शाया गया है तथा मार्क से **अ से य तक एवं मार्क र से ब** तक के रास्ते पर ग्रेवल सडक बनी हुई होकर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवारजन द्वारा निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग किया जा रहा है परन्तु विपक्षीगण उक्त मार्क **अ से ब तक के मध्य में स्थित** विपक्षीगण की आराजी संख्या 3404, 3404/1, 3404/2, 3404/3, 3405, 3947/3405 के मध्य स्थित डबल डोटेड लाईन से दर्शित रास्ते, जिसे संलग्न नजरी नक्शे में **मार्क य से र** दर्शित किया गया है, के उपयोग उपभोग से प्रार्थीगण को वंचित करने की गरज से उक्त रास्ते को बंद करने पर आमादा है। इस हेतु विपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवारजन के साथ लडाई झगडा व गाली गलोच करते रहते हैं तथा धमकी देते हैं कि प्रार्थीगण विपक्षीगण की आराजी से होकर निकलना बंद कर दे विपक्षीगण की आराजी में प्रार्थीगण का कोई रास्ता नहीं है, जिस पर प्रार्थीगण ने कई मर्तबा विपक्षीगण को समझाने की कोशिश की और कहा कि प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने का कोई और अन्य रास्ता नहीं है तथा प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही विपक्षीगण के खेतों में से होकर प्रार्थीगण खेतों में आते जाते रहे हैं तो विपक्षीगण नहीं माने व मरने मारने पर आमादा हुए तथा दिनांक 22.8.2013 को विपक्षीगण उक्त रास्ते को बंद करने पर आमदा हुए तथा मौके पर पत्थर डाल दिये, तथा धमकी दी कि उक्त रास्ता अब कभी नहीं खोलेंगे तथा प्रार्थीगण को अपनी आराजियात में जाने से महरूम कर दें, जिस पर प्रार्थीगण ने विपक्षीगण का प्रयास विफल कर दिया किन्तु अब भी विपक्षीगण नहीं मान रहे हैं तथा जरबन रास्ते की जमीन पर पक्का निर्माण कार्य कर पत्थर की दिवार बना रास्ते को बंद करने पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आमादा है। यदि विपक्षीगण द्वारा उस्त रास्ते की भूमि पर नीवें खोदकर पक्का निर्माण कर रास्ते को बंद कर दिया गया तो प्रार्थीगण रास्ते के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेंगें । विपक्षीगण जानबूझकर प्रार्थीगण को तंग एवं परेशान करने की गरज से राजस्व नक्शे में डबल डोटेड लाईन से अंकित सिलिंग की भूमि आराजी संख्या 3404 में स्थित रास्ते को एवं अपनी आराजी संख्या 3405 एवं 3947/3405 में स्थित रास्ते को बंद कर प्रार्थीगण की आराजियात को जबरन हडप करना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण को अपनी आराजी में सुचारू रूप से काश्त करने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 3404, 3404/1, 3404/2, 3404/3, 3405, 3947/3405 के मध्य में 20 फिट चौडा रास्ता जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में **मार्क य से र तक** दर्शाया गया है, जो **मार्क अ से ब** से दर्शित ग्रेवल सडक से मिलता है, जो कि मौके पर मौजूद है, को रास्ते के रूप में दर्ज कराया जावे एवं उक्त रास्ते को प्रार्थीगण द्वारा उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु विपक्षीगण को पाबन्द किया जावे। प्रार्थीगण विपक्षीगण की आराजी के मध्य 20 फिट चौडे रास्ते की भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज कराने हेतु नियमानुसार शुल्क देने हेतु तत्पर है।

5. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को उनके अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं दी । जब प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने दिनांक 2.3.2015 को अपीलाण्ट्स की जमीन पर जबरदस्ती रास्ता निकालने की कोशिश की व कहा कि हमारे पक्ष में फैसला हो गया । इसलिए वे अपीलाण्टगण की आराजियात से नये सिरे से रास्ता निकालेंगे। इस पर अपीलाण्टगण माण्डल कोर्ट गये एवं अपने अधिवक्ता से मिले तो उन्होनें कहा कि भूल जाने से वकील साहब ने अपीलाण्ट को सूचना नहीं दे सका । तब अपीलाण्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति व आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं दिनांक 3.3.2015 को नकलें प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम बेमाली में स्थित उनकी खातेदारी की आराजी नम्बर 3613 रकबा 26 बीघा 3 बिस्वा भूमि में आने–जाने हेतु विपक्षीगणों की आराजी नम्बर 3405, 3947/3405, 3404/1, 3404/2, 3404/3, व 3404 का उपयोग प्रार्थीगण करते हैं, क्योंकि सुगम रास्ता सरकारी रेकार्डेड रास्ता आराजी नम्बर 3420 में होकर डबल डोटेड लाईन से दर्शित रास्ते से होकर रास्ते के रूप में दर्ज आराजी नम्बर 3371 से होते हुए आराजी नम्बर 3811/3409 व 3407 की पश्चिमी मेड व ग्राम चावण्डिया की सीमा पर स्थित रास्ते से होकर अपने पूर्वजों के समय से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं । इस

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रास्ते के अलावा अन्य कोई सरल सुगम रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं है परन्तु आराजी नम्बर 3404 बडा रकबा होने से उसके टुकडे–टुकडे कर आराजी नम्बर 3404/1, 3404/2, 3404/3 विपक्षीगण को आवंटन कर देने से रास्ता बंद कर दिया तथा आराजी नम्बर 3404 रकबा 17 बिस्वा बिलानाम दर्ज रेकार्ड है। बाद विचारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया कि आराजी नम्बर 3404 रकबा 17 बिस्वा बिलानाम सरकार रास्ते को दर्ज करने हेतु प्रार्थीगण से वर्तमान डी एल सी दर की दोगुना राशि राजकोष में जमा कराने पर व खातेदारी आराजी नम्बर 3947/3405 में से 25 गुणा 2 गट्टा तथा आराजी नम्बर 3405 में से 20 गुणा 2 गट्टा की कीमत वर्तमान डी एल सी दर की दोगुणा से राशि प्रार्थीगणों से प्राप्त कर संबंधित खातेदारों को भुगतान करने के पश्चात उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड व नक्शे में रास्ता दर्ज किया जावे जो सार्वजनिक होगा।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने केवल तहसीलदार करेडा व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है क्योंकि तहसीलदार सा0 व पटवारी हल्का ने अपीलार्थीगण/विपक्षीगण की मौजूदगी में मौका नहीं देखा और अपनी मनमर्जी अनुसार रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी । उस पर आपत्ति व आक्षेप प्रस्तुत करने का भी अपीलार्थीगण को अवसर नहीं देकर प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण को नाजायज लाभ पहॅूचाने की दृष्टि से जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया और अपीलाण्टगण की आराजियात संख्या 3947/3405 व आराजी नम्बर 3405 दो भागों में विभक्त हो गई जिससे अपीलाण्टगण की फसल पूरी तरह से नष्ट हो

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जायेगी। अपीलाधीन निर्णव विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी नम्बर 3613 पर आने जाने के लिए गोपालपुरा की आबादी से दक्षिणी तरफ रेकार्डेड रास्ता कच्ची सडक मौजूद है जो आगे चलकर पश्चिम की ओर मुडने पर रास्ता संख्या 3403 में मिल जाता है। यह रास्ता आराजी नम्बर 3408 की पश्चिमी मेड पर होते हुए प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 3613 पर पहूँचता है जो अत्यन्त सरल व सुगम है व सबसे नजदीक व सुविधाजनक है। यह रास्ता नक्शा ट्रेश में दर्ज है और इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण सदैव अपनी आराजी नम्बर 3613 में आ जा रहे हैं। जिसमें किसी निजी व्यक्ति की भूमि नहीं आते है। यह रास्ता काफी चौडा होकर साफ सुथरा व अवरोध रहित है जिसमें गाडी गडार बनी हुई है । इस रास्ते का तहसीलदार साहब व पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में कोई अंकन नहीं कर तथ्यों को छिपाकर प्रार्थीगण को नाजायज तरीके से मदद करने की कोशिश की है। धारा 251 ए व धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि जहॉ प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो तो किसी व्यक्ति की खातेदारी की जमीन में नये सिरे से कोई रास्ता कायम नहीं कराया जावे। इसके बावजूद प्रार्थीगण ने बिल्कुल उटपटांग तौर से रास्ते की मांग करते हुए गोपालपुरा की पश्चिमी तरफ जाकर फिर चावण्डिया नाथडियास जाने वाले रास्ते को बीच में छोडते हुए जबरदस्ती अपीलाण्टगण की आराजियात में घुसकर नये सिरे से रास्ता चाहा है जो किसी भी अवस्था में प्रदान नहीं किया जा सकता है जबकि गोपालपुरा से पश्चिमी तरफ जाने वाला यह रास्ता भी आगे जाकर नाथडियास जाने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वाले रास्ते से मिल जाता है । जिसमें किसी की आराजी बीच में नहीं पडती है उससे होकर भी प्रार्थीगण अपनी आराजियात में आसानी व सुगमता से आ जा सकते है। इस प्रकार प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने–जाने के लिए दो वैकल्पिक सरकारी रास्ते उपलब्ध है तो अपीलार्थीगण की भूमि में तीसरे रास्ते के रूप में नया रास्ता देने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। उसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय पारित कर नया रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण की उक्त आराजियात में से होकर प्रार्थीगण की आराजयात में जाने हेतु कभी भी रास्ता मौजूद नहीं रहा है फिर भी प्रार्थीगण ने अपीलार्थीगण को नुकसान पहूँचाने की नियत से अपीलार्थीगण/विपक्षीगण के खिलाफ यह झूठा दावा पेश कर दिया और इसमें पटवारी व तहसीलदार साहब से मिलाभगती करके अपनी मनमर्जी माफिक झूठी रिपोर्ट तैयार करवा ली ताकि अपीलार्थीगण की आराजियात के टुकडे–टुकडे होकर खराब हो जावे और उसका नाजायज दुरूपयोग प्रार्थीगण कर सके। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो पोषणीय नहीं था उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण/विपक्षीगण को अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

...जिससे वे अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित ...य है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। बिना समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह खारिज योग्य है।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के अनवान में सुख लाल पिता लक्ष्मीलाल को प्रार्थी संख्या 7 के रूप में संयोजित किया है जबकि निर्णय के अनवान मे प्रार्थी संख्या 7 गोपाल पिता लक्ष्मीलाल कुमावत लिखा है । इससे स्पष्ट होता है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने मामले का पूरा अवलोकन नहीं कर जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरुद्ध होने से खारिज योग्य है। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2018 (1) पेज 574 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

15. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया एव कथन किया कि पक्षकार का स्वयं का दायित्व है कि वह अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में रहकर प्रकरण में हो रही प्रोग्रेस की जानकारी प्राप्त करे। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के लिये जो कारण अंकित किया है वह पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। साथ ही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने समरी इन्क्वायरी करवाने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरान्त जो अपीलाधीन निर्णय

मु. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

16. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेज एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

17. प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बेमाली में स्थित उनकी खातेदारी की आराजी नम्बर 3613 रकबा 26 बीघा 3 बिस्वा भूमि में आने–जाने हेतु विपक्षीगणों की आराजी नम्बर 3405, 3947/3405, 3404/1, 3404/2, 3404/3, व 3404 का उपयोग प्रार्थीगण करते हैं, क्योंकि सुगम रास्ता सरकारी रेकार्डेड रास्ता आराजी नम्बर 3420 में होकर डबल डोटेड लाईन से दर्शित रास्ते से होकर रास्ते के रूप में दर्ज आराजी नम्बर 3371 से होते हुए आराजी नम्बर 3811/3409 व 3407 की पश्चिमी मेड व ग्राम चावण्डिया की सीमा पर स्थित रास्ते से होकर अपने पूर्वजों के समय से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं । इस रास्ते के अलावा अन्य कोई सरल सुगम रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं है परन्तु आराजी नम्बर 3404 बडा रकबा होने से उसके टुकडे–टुकडे कर आराजी नम्बर 3404/1, 3404/2, 3404/3 विपक्षीगण को आवंटन कर देने से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रास्ता बंद कर दिया तथा आराजी नम्बर 3404 रकबा 17 बिस्वा बिलानाम दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थीगण को अपनी आराजी में सुचारू रूप से काश्त करने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 3404, 3404/1, 3404/2, 3404/3, 3405, 3947/3405 के मध्य में 20 फिट चौडा रास्ता जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में **मार्क य से र तक** दर्शाया गया है, जो **मार्क अ से ब** से दर्शित ग्रेवल सडक से मिलता है, जो कि मौके पर मौजूद है, को रास्ते के रूप में दर्ज कराया जावे । अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा दिनांक 24.1.2014 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिसमें विपक्षीगण की आराजी के मध्य से कोई रास्ता नहीं होने का कथन करते हुए पेरा नम्बर 13 में वैकल्पिक रास्ता होने का अंकन करते हुए अंकित किया है कि " प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने हेतु रास्ता गोपालपुरा से होता हुआ आराजी नम्बर 3403 में होते हुए आराजी नम्बर 3408 के पश्चिमी मेड पर होते हुए प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 3613 में पहूँचता है। इस प्रकार प्रार्थीगण की आराजी मे आने जाने हेतु उक्त सरकारी रेकार्डेड रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थीगण नये सिरे से विपक्षीगण की आराजी में से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। "

18. समरी इन्क्वायरी तैयार करते समय प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध अथवा नहीं है इस बाबत भी मौके का अवलोकन कर रिपोर्ट में अंकन किया जाना नितान्त आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायायल की पत्रावली मे संलग्न मौजा पर्चा मौजा बेमाली का अवलोकन किया गया । उक्त रिपोर्ट दिनांक तहसीलदार करेडा के आदेश के क्रम में दिनांक 7.2.2014 को तैयार की गई है। उक्त रिपोर्ट एवं नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया । उक्त मौका पर्चा में अंकन किया गया है कि " संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सरकारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रास्ता आराजी नम्बर 3420 व 3371 के बीच के खातेदारी में स्थित रास्ते को मौके पर बन्द कर दिया गया है जबकि यह रास्ता पूर्व में संचालित था। उक्त रास्ता एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जाने वाला रास्ता था। उक्त डोटेड लाईन वाला रास्ता गुजरों की खातेदारी के बीच गुजरता था । गुजरों ने खेतों को एक करने के लिए बीच के रास्ते को बन्द कर आराजी नम्बर 3405 मे से आराजी नम्बर 3406 की उत्तरी तथा आराजी नम्बर 3405 की दक्षिणी मेड पर 2 गट्टे का रास्ता खोल दिया था। जिसे वर्तमान में पुनः बन्द कर दिया गया है । आराजी नम्बर 3404 में 0.17 बीघा बिलानाम दर्ज है । वादिया आराजी नम्बर 3404 में पोते बिलानाम दर्ज रकबा 0.17 बीघा एवं आराजी नम्बर 3947/3405 में 25 गट्टा लम्बा एवं 2 गट्टा चौडा तथा आराजी नम्बर 3405 में 20 गट्टा लम्बा एवं 2 गट्टा चौडा रास्ता चाहती है । आराजी नम्बर 3371 में प्रस्तावित रास्ता मिलता है। '' उक्त मौका रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा संलग्न है। जो कि पटवारी हल्का बेमाली द्वारा दिनांक 7.2.2014 को तैयार की गई है। परन्तु उक्त रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का कोई अंकन नहीं किया गया है।

19. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एक रिपोर्ट और संलग्न है उक्त रिपोर्ट भी दिनांक 7.2.2014 को ही तैयार की गई है जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का के हस्ताक्षर है। उक्त रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि '' प्रार्थीया सरकारी आराजी नम्बर 3404 की बिलानाम भूमि जो कि खातेदारी आराजी नम्बर 3404/1 , 3404/2, व 3404/3 के मध्य डोटेड लाईन से दर्ज है को रास्ते में दर्ज कराना चाहती है तथा गुजरों की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 3947/3405 व आराजी नम्बर 3405 में 2 गट्टा चौडा रास्ता चाहती है जो कि उत्तर पूर्व में सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 3420 से तथा दक्षिण पश्चिम में सरकारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रास्ता आराजी नम्बर 3371 से मिलता है। बन किये गये रास्ते को दोनों छोर पर सरकारी राशि से ग्रेवल डालने का काम हो रखा है। बीच में खातेदारी आ जाने से ग्रेवल का काम नही हो सका है। '' उक्त रिपोर्ट में भी वैकल्पिक रास्ते का अंकन नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2018(1) पेज संख्या 574में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौका रिपोर्ट तहसीलदार अथवा भू अभिलेख निरीक्षक से नीचे के स्तर के अधिकारी से तलब नहीं की जावे। अपीलाधीन मामले में रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी से तैयार करवाई गई है। इसलिए अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है।

20. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नजरी नक्शा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । उक्त रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का कोई अंकन नहीं किया गया है मात्र प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते को प्रस्तावित दर्शाया गया है। जबकि प्रार्थीया को अपनी आराजी पर आने जाने के लिए सरकारी रास्ता संख्या 3371 उपलब्ध है जो आराजी नम्बर 3403 के पश्चिमी तरफ राजस्व नक्शे में दर्शित है। उक्त रास्ता गोपाल पुरा से आकर आराजी नम्बर 3407 के दक्षिणी आखिरी छोर के नजदीक तक रास्ते के रूप में दर्शाया गया है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड है । इस रास्ते के उपरान्त आराजी नम्बर 3408 की पश्चिमी मेड पर डोटेड रास्ता दर्शाया गया है। उक्त आराजी नम्बर 3408 के दक्षिणी तरफ प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 3613 स्थित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को आराजी नम्बर 3407 के पश्चिमी मेड पर कुछ लम्बाई का रास्ता एवं आराजी नम्बर 3408 में डोटेड लाईन से दर्शाये रास्ते हेतु आवेदन किये जाने की स्थिति में सहजता से रास्ता उपलब्ध था।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त रास्ते का अंकन अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने भी उक्त वैकल्पिक रास्ते का कोई अंकन नहीं कर तथ्यों को छिपाया है।

21. **धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आत्यंतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में लघुत्तम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है कि न कि सुविधाजनक रास्तें को उपलब्ध कराया जाना है।** अपीलाधीन प्रकरण में प्रत्यर्थीगण ने वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद सुविधाजनक रास्ते की मांग की है। जब प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण के पास पूर्व में ही सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 3371 उपलब्ध है । उक्त 3371 गैर मुमकिन रास्ता आराजी नम्बर 3403 के पश्चिमी तरफ राजस्व नक्शे में दर्शित है। उक्त रास्ता गोपाल पुरा से आकर आराजी नम्बर 3407 के दक्षिणी आखिरी छोर के नजदीक तक रास्ते के रूप में दर्शाया गया है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड है । इस रास्ते के उपरान्त आराजी नम्बर 3408 की पश्चिमी मेड पर डोटेड रास्ता दर्शाया गया है। आराजी नम्बर 3408 के दक्षिणी तरफ प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 3613 स्थित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को आराजी नम्बर 3407 के पश्चिमी मेड पर कुछ लम्बाई का रास्ता एवं आराजी नम्बर 3408 में डोटेड लाईन से दर्शाये रास्ते हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये था। प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण द्वारा सुविधाजनक रास्ता चाहा गया है जिससे वह राजस्व रेकार्ड में दर्ज रास्ता आराजी नम्बर 3420 से गैर मुमकिन रास्ता 3371 में मिलाना चाहते हैं। इसके लिए विपक्षीगण की खातेदारी की आराजी के मध्य से रास्ता दर्ज करवाकर सुविधाजनक रास्ते की मांग अपीलाधीन प्रकरण में की गई है। प्रार्थीगण द्वारा अन्य खातेदार की जोत से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मामले में, पहॅूचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध नहीं किया है। वरन् प्रार्थीगण ने विद्यमान रास्ते खसरा नम्बर 3371 से स्वयं की आराजियात खसरा नम्बर 3613 तक रास्ता उपलब्ध होना स्वीकारा है, तथा स्वयं की जोत से दूर गैर मुमकिन रास्ता आराजी नम्बर 3371 व गैर मुमकिन रास्ता आराजी नम्बर 3420 के मध्य की आराजियात में डोटेड रास्ते को खुलवाने व रास्ता कायम करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से कोई अनुतोष दिया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व नक्शे का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में गंभीरता से अवलोकन किये बगैर उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय को धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने से पूर्व **आत्यंतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में लघुत्तम रास्ता दिये जाने के बिन्दु पर** गंभीरतापूर्वक अवलोकन किये बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

22. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.2014 को निरस्त किया जाता है।

23. निर्णय आज दिनांक 27.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

27/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा